जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 29.01.2021

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद ।

दिनांक 28.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर किवाना कांधला रोड से 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-गौरव पुत्र अशोक निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरवः-

1-मु0अ0सं0 362/14 धारा 302 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
2-मु0अ0सं0 04/14 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कांधला जनपद शामली।
3-मु0अ0सं0 460/15 धारा 452,323,506 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
4-मु0अ0सं0 461/15 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।
5-मु0अ0सं0 277/16 धारा 386 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
6-मु0अ0सं0 145/16 धारा 386 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
7-मु0अ0सं0 1294/19 धारा 323,441 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
8-मु0अ0सं0 283/20 धारा 307,452,323,504,506 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
9-मु0अ0सं0 286/20 धारा 3/25/27 आम्र्स एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।
10-मु0अ0सं0 29/21 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

आज दिनांक 28/29.01.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गढीदौलत तिराहा से अवैध 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुस्तकीम उर्फ मुन्ना पुत्र जमशेद निवासी गढी दौलत थाना कांधला जनपद शामली ।
2. इकराम पुत्र कासिम निवासी गढी दौलत थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का ।

पुलिस अधीक्षक शामली की दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सश्रम कारावास की सजा, साथ ही अर्थदण्ड भी किया ।

अवगत कराना है कि वर्ष 2010 में थाना क्षेत्र आदर्शमण्डी शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त विपिन पुत्र भोपाल निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया । इस घटना के संबंध में युवती द्वारा दिनांक 18.01.2010 को थाना आदर्शमण्डी पर तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर दुष्कर्म तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । इस मामले में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया । जनपद मुजफ्फरनगर के न्यायालय एडीजे-2 में उक्त मामले का विचारण किया गया । इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में मॉनीटरिंग सेल को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये तथा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कराते हुए गवाही संपन्न कराई । पुलिस अधीक्षक शामली के अथक प्रयास से मॉनीटरिंग सेल की निरंतर एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर दिनांक 28.01.2021 को विशेष न्यायालय एडीजे-2 जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए सजा सुनाई है । अभियुक्त विपिन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदंड तथा 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है । पीडिता के साथ हुए घिनौने कृत्य में हुई सजा से पीड़ित परिवार गदगद है और पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है ।